

## उत्तराखण्ड शासन

## वित्त अनुभाग-6

संख्या- 210259 / XXVII(6)/ई-70670 / 1466 / 2024

देहरादून:दिनांक 10 मई, 2024

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-209831 xxvii(6)/1466/2024, दिनांक 09.05.2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड निष्पादन लेखा परीक्षा नियम संग्रह, 2024 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. उप निदेशक, वित्त सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. निदेशक, यू0के0पी0एफ0एम0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट) निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. संयुक्त सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग-06, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. प्रभारी मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

Signed by Gajendra Singh

Kaphalia

Date: 10-05-2024 11:23:43

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)

उप सचिव

**उत्तराखण्ड शासन**  
**वित्त अनुभाग-6**  
**संख्या- 209831 /xxvii(6)1466 / 2024**  
**देहरादून, दिनांक  2024**

**अधिसूचना**

राज्यपाल, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-2, 2012) की धारा 20 एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमसंग्रह, 2021 के नियम 6 एवं 8 के खण्ड (क) सपठित इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (INTOSAI) द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के संपादनार्थ प्रयोग किये जाने हेतु लागू मानकों एवं दिशा-निर्देशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम संग्रह प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्—

**उत्तराखण्ड निष्पादन लेखापरीक्षा नियम संग्रह, 2024**

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (1) इस लेखापरीक्षा नियम संग्रह का संक्षिप्त नाम **उत्तराखण्ड निष्पादन लेखापरीक्षा नियम संग्रह, 2024** है।

(2) (i) यह नियम संग्रह अधिसूचना संख्या-495/xxvii(11)/2012 दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के माध्यम से लागू उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 4(1) के प्रावधान के अनुसार अधिसूचित सभी ऑडिटी एवं समय-समय पर उक्त धारा के अन्तर्गत अधिसूचित अन्य विभागों एवं संस्थाओं आदि पर लागू होगा।

(ii) उक्त नियम संग्रह को इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (INTOSAI) द्वारा जारी प्रासंगिक मानकों के अनुसार निष्पादन लेखा परीक्षा किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

(iii) नियम संग्रह का उपयोग लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा अपने कर्मियों और अधिकारियों या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों या समय-समय पर सूचीबद्ध संस्थानों/अभिकरणों (एजेंसियों) के माध्यम से किया जायेगा।

(iv) इस नियम संग्रह को उत्तराखण्ड आंतरिक लेखापरीक्षा नियम-संग्रह, 2021 और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए अन्य प्रासंगिक लेखापरीक्षा नियम-संग्रहों के साथ पढ़ा जाएगा।

(3) यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

निष्पादन लेखापरीक्षा 2. यह नियम-संग्रह निष्पादन लेखापरीक्षा के सिद्धान्तों, मानकों एवं नियम-संग्रह-एक परिचय विस्तार से लेखापरीक्षा प्रक्रिया को निर्धारित करने हेतु नियमों का संग्रह है।

निष्पादन लेखापरीक्षा को स्वतन्त्र, उद्देश्यपूर्ण एवं विश्वसनीय

I/209831/2024

परीक्षण के रूप में परिभाषित किया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी उपक्रम, प्रणालियाँ, कार्यक्रम, गतिविधियाँ या संगठन इत्यादि मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावशीलता के सिद्धान्तों के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं तथा उनमें सुधार की संभावनायें विद्यमान हैं।

निष्पादन

लेखापरीक्षा

3.

नियम संग्रह के मुख्य

उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा नियम संग्रह का मुख्य उद्देश्य रचनात्मक रूप से मितव्ययता, प्रभावशीलता एवं कार्य-कुशलता को बढ़ावा देना है तथा जो कुशल प्रशासन, जबाबदेही एवं पारदर्शिता में योगदान करता है। सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा, कार्यप्रभारियों की जबाबदेही को बढ़ावा देगी तथा कार्य-प्रदर्शन में सुधार हेतु मार्ग-दर्शन प्रदान करेगी। निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन का परीक्षण कर यह विश्लेषण किया जा सकेगा कि नागरिकों को किस स्तर तक लाभ प्राप्त हुआ है।

निष्पादन लेखापरीक्षा नियम-संग्रह के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं-

- सार्वजनिक क्षेत्र प्रबन्धन में सुधार के लिये आधार प्रदान करना,
- सार्वजनिक क्षेत्र प्रबन्धन के परिणामों पर जानकारी की गुणवत्ता में सुधार,
- सार्वजनिक क्षेत्र प्रबन्धन को निष्पादन की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना,
- निष्पादन लेखापरीक्षा के मानकों, सिद्धान्तों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं पर ऑडिट निदेशालय को मार्ग-दर्शन प्रदान करना है,
- उपरोक्त के अतिरिक्त लेखापरीक्षकों को निष्पादन लेखापरीक्षा से परिचित कराने के उद्देश्य के अतिरिक्त यह नियम-संग्रह निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का भी प्रयास करेगा-

- (i) निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित करने में लेखापरीक्षकों की व्यावसायिकता और क्षमता को बढ़ावा देना,
- (ii) निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित करने में दृष्टिकोण की निरंतरता सुनिश्चित करना, मार्गदर्शन प्रदान करना और उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करना,
- (iii) निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रबंधन और संचालन में लेखापरीक्षकों की सहायता करना,
- (iv) एक बुनियादी ढांचा तैयार करना जिसके अन्तर्गत प्रदर्शन का विश्लेषण करने और निष्कर्षों की रिपोर्ट तैयार करने में पेशेवर निर्णय लिया जा सके,
- (v) लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के अभ्यास को मानकीकृत करना,

I/209831/2024

उत्तराखण्ड निष्पादन उत्तराखण्ड निष्पादन लेखापरीक्षा नियम संग्रहके दो भाग हैं,  
4. लेखापरीक्षा नियम संग्रह जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है—  
के भाग एवं उनका संक्षिप्त  
विवरण

उत्तराखण्ड निष्पादन नियम संग्रह के भाग I में 08 अध्याय हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण  
लेखापरीक्षा नियम संग्रह— इस प्रकार है।

भाग—I

•प्रथम अध्याय (नियम संग्रहका परिचय) —इस अध्यायके उद्देश्य, प्रयोज्यता एवं संशोधन व पुनरीक्षण के प्रावधानों का परिचय देता है।

•द्वितीय अध्याय (निष्पादन लेखापरीक्षा का अवलोकन)—यह अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा की परिभाषा, उद्देश्य, दायरा, विशिष्टता, अंतर्राष्ट्रीय मानक, अवधारणाएं, दृष्टिकोण और लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों का परिचय देता है।

•तृतीय अध्याय (निष्पादन लेखापरीक्षा के सिद्धांत)—यह अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा में लागू सामान्य सिद्धांतों, जैसे स्वतंत्रता और नैतिकता, आत्मविश्वास और आश्वासन, कौशल, पर्यवेक्षण, पेशेवर निर्णय और संदेह, गुणवत्ता नियंत्रण, भौतिकता और सम्परीक्षा के अभिलेखीकरण पर विस्तार से परिचय देता है।

•चतुर्थ अध्याय (विभाग द्वारा रणनीतिक योजना)— यह अध्याय विभाग द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के संपादन हेतु दीर्घ कालीन योजना तैयार करने में मार्ग—दर्शन प्रदान करता है।

•पंचम अध्याय (लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा की योजना)—इस अध्याय में लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित करने के क्रम में विषय को समझने से लेकर दायरा, मापदण्ड, दृष्टिकोण निर्धारण और अंततः डिजाइन मैट्रिक्स और लेखापरीक्षा योजना मेमो विकसित करने सम्बन्धी चरणों को सम्मिलित किया गया है।

•षष्ठम अध्याय (लेखापरीक्षा निष्पादन)— यह अध्याय लेखापरीक्षा सम्पादित करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं—ऑडिटी के साथ प्रवेश सम्मेलन से निकास बैठक तक की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में लेखापरीक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।

•सप्तम अध्याय (लेखापरीक्षा आख्या)— यह अध्याय लेखापरीक्षा अवलोकन आव्यूह निर्धारित करने, इसे लेखापरीक्षा आख्या में परिवर्तित करने, इसकी समीक्षा, अनुमोदन, प्रकाशन और अंत में परिणाम के संचार पर विस्तार से बताता है।

•अष्टम अध्याय (अनुवर्ती और निगरानी)— इस अध्याय में लेखापरीक्षा निगरानी, अनुवर्ती— कार्यवाही, समीक्षा अनुपालन और कृत—कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर) जैसे विषय शामिल हैं।

I/209831/2024

उत्तराखण्ड निष्पादन लेखापरीक्षा नियम संग्रह भाग-2  
 लेखापरीक्षा नियम संग्रह- इस खंड में 17 अनुलग्नक शामिल हैं जिनमें ऑडिट के विभिन्न चरणों के संचालन अवधि में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रारूप, उदाहरण, जॉच-सूची और पंजिकाओं और अभिलेखों के प्रारूपसम्मिलित हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा: परिभाषा: निष्पादन लेखापरीक्षा नियम संग्रह को "एक स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय जांच के रूप में परिभाषित किया गया है, कि क्या सरकारी उपक्रम, कार्य-प्रणाली, संचालन, कार्यक्रम, गतिविधियां या संगठन मितव्ययता, दक्षता और/या प्रभावशीलता के सिद्धांतों के अनुसार काम कर रहे हैं और क्या उसमें सुधार किया जा सकता है।

इसका उद्देश्य सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता में योगदान करना है। निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य नई जानकारी, विश्लेषण, या अंतर्दृष्टि और जहां उपयुक्त हो, सुधार के लिए सुझाव प्रदान करना है।

### निष्पादन लेखापरीक्षा में 3 ई:

**मितव्ययता:** मितव्ययता किसी गतिविधि को निष्पादित करने में उपयोग किए गये संसाधनों की लागत को कम करना है। संसाधन नियत समय पर, उचित मात्रा एवं गुणवत्ता में तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिये।

मितव्ययता की सम्परीक्षा में संसाधन की लागत और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा।

**दक्षता—** उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही दक्षता है। इसका संबंध नियोजित संसाधनों (इनपुट) और मात्रा, गुणवत्ता और समय के संदर्भ में दिए गए उत्पादन के मध्य संबंध से है। दक्षता की सम्परीक्षा का आशय यह जांचना है कि क्या नियोजित संसाधनों को इष्टतम या संतोषजनक उपयोग में लाया गया है या क्या समान उत्पादन (मात्रा, गुणवत्ता और उपभोग किये गये समय के संदर्भ में) कम संसाधनों के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

**प्रभावशीलता—** प्रभावशीलता का अर्थ है उद्देश्यों को पूरा करना या इच्छित परिणाम प्राप्त करना।

प्रभावशीलता की सम्परीक्षा का आशय, इस बात की जांच करना है कि उत्पादन के संदर्भ में नीतिगत उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा किया गया है, और लेखापरीक्षकपरिणाम और प्रभावों के मध्य अंतर कर सकेगा।

इस प्रकार लोक प्रशासन में मितव्ययता, दक्षता और प्रभावशीलता की अवधारणाओं की बुनियादी समझ निष्पादन लेखापरीक्षा की

I/209831/2024

नींव है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्यतः चार चरण हैं।

चरण—

**लेखापरीक्षा योजना—** निदेशालय लेखापरीक्षा इस नियम-संग्रह में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादन लेखापरीक्षा के संपादन हेतु रणनीतिक योजना बनाएगा। संभावित विषयों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिस पर अगले दो वर्षों में निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित की जाएगी।

**लेखापरीक्षा संपादन—** निष्पादन लेखापरीक्षा के संपादन में लेखापरीक्षा-योजना के क्रियान्वयन जिसमें पर्याप्त प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य का संकलन, मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, सम्परीक्षा-अवलोकनों, निष्कर्षों एवं सुझाव सम्मिलित किया जायेगा।

**सम्परीक्षा आख्या—** निष्पादन लेखापरीक्षापूर्ण होने के पश्चात, ऑडिटी एजेंसी और अन्य उपयोगकर्ताओं के विचारार्थ एक आख्या तैयार की जाएगी। निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रत्येक चरण में, एक संतुलित आख्याबनाये जानेके सम्बन्ध में ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए जिसका मूल्यवर्धित प्रभाव पड़े।

**अनुवर्ती प्रक्रियाएं—** अनुवर्ती प्रक्रियाएं, निष्पादन लेखापरीक्षाके प्रभावों एवंसुझावों को लागू करने में संस्था की प्रगति की पहचान एवंअभिलेखीयकरण करेंगी।

**नोट—** इस नियम-संग्रह के प्रख्यापित किये जाने के दिनांक के पश्चात नियम 04, 05 एवं 06 में वर्णित उपबन्धों का सम्पूर्ण विवरण उत्तराखण्ड ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेन्ट सिस्टम (यू0ओ0ए0एम0एस0) पद देखा जा सकेगा।

आज्ञा से,  
Signed by Anand Bardhan  
Date: 08-05-2024 20:19:46  
(आनन्द बर्द्धन)  
अपर मुख्य सचिव

I/209830/2024

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is Pleased to order the publication of the following English translation of notification no /XXVII(6)/2024 Dehradun, Dated.....for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**Finance Section-06**  
**No. 209830/XXVII(6)/1466/2024,**  
**Dehradun, dated: 08 May 2024**

**Notification**

In exercise of the powers conferred by section 20 of the Uttarakhand Audit Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 2 of 2012) and rule 6 and clause 8 of the Uttarakhand Internal Audit Manual, 2021 read with the Standards and Guidelines to be applicable for Institute of Internal Auditors and International Supreme Audit Institution (INTOSAI) for conducting the Performance Audit, the Governor is pleased to allow the following manual to be promulgated, namely:

**The Uttarakhand Performance Audit Manual, 2024**

Short title, extent and Commencement (1) This Audit Manual may be called the **Uttarakhand Performance Audit Manual, 2024.**

(2) (i) This Audit Manual shall apply to all the Auditees notified under the Gazette Notification No. 495//XXVII(11)/2012 dated 26 November 2012 as per the provision of sub-section (1) of section 4 of the Uttarakhand Audit Act, 2012 and as notified under the section to departments and institutions from time to time.

(ii) The said manual is designed to provide guidance for conducting performance audits in accordance with relevant standards issued by the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

(iii) The Directorate of Audit shall use this manual through its personnel and officers or Chartered Accountant firms or institutes/agencies empaneled, time to time.

(iv) This manual shall be read with the Uttarakhand Internal Audit Manual, 2021, and other relevant audit manuals prepared for specific areas.

(3) This shall come in force from the date of publication of notification in the Official Gazette.

Performance Audit Manual – Introduction 2. This Manual is a compilation of principles, standards, and detailed rules for determining the audit life cycle of Performance Audit.

Performance Audit is defined as an independent, purposeful, and reliable examination, which ensures that

Government undertakings, systems, programs, activities or organizations, etc. are being operated on the basis of the principles of Economy, Efficiency, and Effectiveness and whether there is scope for improvement.

Main Objectives of  
3. Performance Audit  
Manual.

The main objective of the Performance Audit Manual is to promote economical, efficient, and effective governance constructively and which contribute to proficient administration accountability, and transparency. Performance audits of government programs and schemes shall promote accountability by assisting those charged with governance and oversight responsibilities to improve performance.

Through performance auditing, the auditors shall examine whether decisions by the legislature or the executive are efficiently and effectively prepared and implemented and whether the citizens have received the value for money. The other key objectives of the performance audit manual are as follows.

- To provide the basis for the improvement of public sector management.
- Improvement in the quality of information on the results of public sector management.
- Encouragement of public sector management to introduce a process for reporting on performance.
- To provide guidelines to the Directorate of Audit on the standards, principles, and processes of performance auditing.
- Apart from the above for the objectives of introducing performance auditing to the auditors the manual will also try to achieve the following objectives.
  - (i) Promote professionalism and competence of auditors in carrying out performance audits.
  - (ii) Ensure consistency in audit approaches, provide guidance, and help to achieve high quality in performance audits.
  - (iii) Assist auditors in managing and conducting performance audits.
  - (iv) Set out a basic framework within which professional judgment may be exercised in analyzing performance and reporting conclusions.
  - (v) Standardize the practice of performance audit by the auditors.



I/209830/2024

Performance Audit  
Manual- Parts and a  
brief description  
Uttarakhand  
Performance Audit  
Manual- Part-I

which comprise the following-

Part I of the Manual consists of 08 chapters, a brief description is as follows;

- Chapter-1 (About the Manual)- The chapter introduces the Manual, its objective, applicability, and provisions of the amendment and revision of the Manual.
- Chapter-2 (Overview of Performance Audit)- The chapter gives definition, objectives, scope, distinction, international standards, concepts, approach, and audit stages of Performance Audit.
- Chapter-3 (Principles of Performance Auditing)- The chapter elaborates on general principles applied in performance auditing, such as Independence & Ethics, Confidence & Assurance, Skills, Supervision, professional judgment & skepticism, quality control, materiality and documentation of auditing.
- Chapter-4 (Strategic Planning by the department)- The chapter provides guidance on preparing long-term strategic planning by the department.
- Chapter-5 (Planning of Performance Audit by the auditors)- The chapter covers the steps to be followed during the conduct of audit from understanding the subject to determining the scope, criteria, approach and ultimately developing Design Matrix and Audit Planning Memos.
- Chapter-6 (Audit Execution)- The chapter guides auditors on processes to be followed while conducting an audit from formal initiation through entry conference to exit meeting with the auditee.
- Chapter-7 (Audit Reporting) – The chapter elaborates on determining the audit finding matrix, further converting it to an Audit Report, its review, approval, issuance, publication and finally communication of the result.
- Chapter-8 (Follow-up & Monitoring)- The chapter consists of subjects like audit monitoring, follow-up, review compliance, and Action Taken Report (ATR)

Uttarakhand  
Performance Audit  
Manual part- II

The volume comprises 17 annexures which consist of various formats, to be used during the conduct of the audit life-cycle, illustrations, checklists, and specimens of registers and records.

I/209830/2024

## Performance Audit Manual; an overview

**Definition:** Performance audit is defined as “an independent, objective and reliable examination of whether government undertakings, systems, operations, programs, activities or organizations are operating in accordance with the principles of economy, efficiency and/or effectiveness and whether there is room for improvement”. It aims to contribute to good governance, accountability, and transparency. Performance auditing seeks to provide new information, analysis, or insights and where appropriate, recommendations for improvement.

### **The 3 E’s in Performance Audit:**

**Economy:** Economy is minimizing the costs of resources used in performing an activity. The resources used should be available in due time, in appropriate quantity, quality and at the best price.

Audit of economy will entail focus on the cost of inputs and processes.

**Efficiency:** Efficiency is getting the most from available resources. It is concerned with the relationship between the resources employed (the inputs) and outputs delivered in terms of quantity, quality, and timing.

Auditing efficiency means examining whether the inputs have been put to optimal or satisfactory use or whether the same or similar outputs (in terms of quantity, quality, and turnaround time) could have been achieved with fewer resources.

**Effectiveness:** Effectiveness is meeting the objectives and achieving the intended results.

Auditing effectiveness is examining the extent to which policy objectives have been met in terms of the generated output and the auditor shall distinguish among outputs, outcomes, and impacts.

Thus a basic understanding of the concepts of economy, efficiency, and effectiveness in public administration forms the foundation for performance auditing.

## Performance Audit Stages-

A performance audit passes primarily through four phases.

**Audit Planning:** The Directorate of Audit shall carry out strategic planning in performance audits as per the guidelines provided in this manual. A list of potential audit topics will be prepared, on which the performance audit will be carried out in the next two years.

**Audit Execution:** The execution phase of a performance audit will involve the execution of the audit plan including collection of sufficient relevant and reliable evidence, quantitative and qualitative analysis, formation of audit

I/209830/2024

findings, conclusions, and recommendations.

**Audit Reporting:** After completion of a performance audit, a report shall be prepared for consideration by the auditee agency and other users. Throughout each stage of a performance audit, the emphasis should be on the production of a balanced report which should have value added impact.

**Audit Follow-up:** Follow-up procedures shall identify and document performance audit impacts and the progress of the agency in implementing audit recommendations.

**Note-** After the date of promulgation of this manual, complete details of the provisions mentioned in rules 4, 5 and 6 can be seen on Uttarakhand Online Audit Management System (UOAMS).

**Order by,**

Signed by Anand Bardhan

(Anand Bardhan) Date: 08-05-2024 20:18:43

**Additional Chief Secretary**